ज्ञापांक 381/सी.बी. साहेबगंज, दि० 14.8.18

प्रतिलिपि :- अंचलाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक</u>

1. अंतिम आदेश की प्रतिलिपि।
2. नामान्तरण वाद सं.- 665/2011-12- अब्दुल सलाम कुल -07 सात पन्नों में। अभिलेख प्रत्यार्पण में।

उपसमाहर्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

14.8.18

पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी ता0 सहित
2	3

न्यायालय अन्तर्गत उप समाहर्त्ता, भूमि सुधार, साहेबगंज।

मुटेशन अपील वाद सं0–05/2012–13

अब्दुल सलाम–बनाम–झारखंड सरकार वगैरह

अपीलार्थी

अब्दुल सलाम, सा0–लालबथानी
थाना–साहेबगंज (मु0) जिला–साहेबगंज।

विपक्षी

1. झारखंड सरकार
2. अंचल अधिकारी, साहेबगंज
3. 16/आना रैयत, मौजा–मखमलपुर।

–:आदेश:–

प्रस्तुत वाद की कार्रवाई अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दाखिल आवेदन पत्र के आलोक में दिनांक–27.09.2012 को अंचलाधिकारी, साहेबगंज के नामान्तरण वाद के आदेश तिथि–29.02.2012 वाद सं0–665/2011–12 के विरुद्ध मामला प्रारंभ की गयी। संबंधित मूल अभिलेख अंचलाधिकारी, साहेबगंज से मांग की गयी तथा उभय पक्ष को अपने–अपने पक्ष/साक्ष्य रखने हेतु नोटिश जारी किया गया।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचलाधिकारी द्वारा पारित आदेश को गलत एवं नियमानुकूल नहीं होने का तर्क देते हुए कहा कि मुटेशन आवेदन दाखिल होने के उपरांत राजस्व कर्मचारी ने गलत एवं तथ्यविहिन जांच प्रतिवेदन दाखिल किये हैं। उक्त गलत एवं तथ्यविहिन जांच प्रतिवेदन के आधार पर अंचलाधिकारी के द्वारा मुटेशन आवेदन को गलत ढ़ंग से खारिज किया है।

मुटेशन वाद में मौजा–मखमलपुर (असर्वेक्षित) जमाबन्दी नं0 (खाता नंबर) 323 रकवा–01–00–00 धूर जमीन शामिल है। उक्त जमीन भू स्वामी उमेदुल्ला के नाम से सरकारी रिर्कोड में दर्ज है। उक्त जमीन को अपीलकर्त्ता के खरीदने के बाद से शांतिपूर्ण भोग दखल में है। उक्त जमीन को अपीलकर्त्ता को भू स्वामी नें बिक्री केवाला सं0–4110/दिनांक–15.05.1985 से बेचे हैं भू स्वामी का उक्त वर्णित जमीन निर्विवाद एवं भारविहिन है। भू स्वामी के उक्त जमीन पर अन्य किसी भी व्यक्ति या रिशतेदार का कोई हक दावाधिकार नहीं है। 16/आना रैयतों द्वारा भू–स्वामी के वर्णित जमीन का बिक्री हेतु कोई विरोध नहीं किया है।

यह पाया गया कि अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। आवेदक अपना पक्ष नहीं रख पायें।

अतः अंचल अधिकारी साहेबगंज मुटेशन वाद सं0 - 665/2011-12 को विधिवत् आवेदक को अपना पक्ष रखने का मौका दें एवं सुनवाई के साथ आदेश अंकित करें। पुनः सुनवाई हेतु अंचलाधिकारी साहेबगंज को आदेश की प्रति के साथ निम्न न्यायालय का मूल अभिलेख वापस किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

उप समाहर्त्ता भूमि सुधार,
साहेबगंज।

P.T.O